संख्या: 1210/2020/25-8-2019-17(115)/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(4) महानिदेशक,
आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषयः आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से जाँच/विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-482/25-8-2015-39(11)/70 दिनांक-23.06.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से जांच/विवेचना कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-23.06.2015 के प्रस्तर-6 एवं 7 में निर्धारित व्यवस्था का आशय यह है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जाँच/विवेचना-आख्या में दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में तीन माह के अन्दर प्रत्येक दशा में निर्णय ले लिया जाए परन्तु प्रशासकीय विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों के स्तर पर आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की विवेचना में दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण कई वर्षों तक लम्बित रहते हैं तथा कई बार अनुस्मरण कराये जाने के उपरान्त अथवा मा0 न्यायालय में लम्बित वादों में कोई प्रतिकूल आदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अथवा समयबद्ध आदेश पारित होने पर आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही न कर भिन्न मत का प्रस्ताव मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ गोपन अनुभाग-8 को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि उक्त शासनादेश दिनांक-23.06.2015 के प्रस्तर-6 एवं 7 का आशय यही है कि यदि प्रशासकीय विभाग आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की संस्तुति से भिन्न मत निर्धारित करता है तो उसे अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु तीन माह की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही भिन्न मत का प्रस्ताव उपलब्ध कराना चाहिए। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-1682/2019 जीराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2019 में भी राज्य सरकार से निम्नवत् समयबद्ध कार्यवाही हेतु अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किए जाने की अपेक्षा की गई है:-

"The State should also ensure the expeditious disposal of the requests made for sanction of prosecution by giving directions to the authorities concerned not to keep the matters pending for a period of more than three months."

3. उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक-23.06.2015 में निर्धारित प्राविधानों के क्रम में आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की विवेचनाओं में दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरूद्ध लम्बित अभियोजन स्वीकृति के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

(1) आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की विवेचना आख्या गोपन अनुभाग-8 द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरान्त एक पक्ष के भीतर आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0 द्वारा दोषी पाए गए लोक-सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करते हुए उसकी सूचना गृह (गोपन) अनुभाग-8 को उपलब्ध कराई जाएगी तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव भेजते समय सम्बन्धित सेक्टर के पुलिस अधीक्षक/विवेचक का ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर भी स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में अंकित किया जाएगा, ताकि आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग किसी भी बिन्दु पर वांछित अभिलेखों/सूचनाओं का आदान- प्रदान कर सकें।

(2) आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की विवेचना आख्या में की गई संस्तुति गोपन अनुभाग-8 द्वारा स्वीकार करते हुए उसकी प्रतिलिपि विवेचना-आख्या की प्रति संलग्न कर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जाती है। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग विवेचना-आख्या में की गई संस्तुति से असहमत होने पर आख्या की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से भिन्न मत का प्रस्ताव/टिप्पणी निर्धारित प्रारूप पर औचित्य प्रतिपादित करते हुए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से टिप्पणी की 20 प्रतियां गोपन अनुभाग-8 को उपलब्ध कराएंगे। यदि सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एक माह की अवधि में भिन्न मत का प्रस्ताव नहीं उपलब्ध कराते हैं तो विलम्ब के कारणों का औचित्य दर्शाते हुए विलम्बतम 02 माह की अवधि में भिन्न मत का प्रस्ताव गोपन अनुभाग-8 को उपलब्ध कराएंगे परन्तु किसी भी दशा में अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराए जाने के 03 माह के अन्दर अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने अथवा न करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा। यदि दो माह में प्रशासकीय विभाग से भिन्न मत का प्रस्ताव नहीं प्राप्त होता है तो पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू0 से लम्बित प्रकरणों की सूची प्राप्त कर गृह (गोपन) अनुभाग-8 द्वारा उक्त प्रकरणों को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में सभी विभागों/ईकाईयों द्वारा किये जाने वाले पत्राचार में विभाग व ईकाई से सम्बन्धित मउंपस, फोन व बवदजंबज किये जाने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम अवश्य अंकित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र तिवारी)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।